(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशीष, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 20-92-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मई 2014 द्वारा श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, (1988) अति. पुलिस महानिदेशक, कल्याण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 से 20 जून 2014 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15, 21 एवं 22 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में वृद्धि करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें दिनांक 21 से 28 जून 2014 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 29 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मई 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. एफ-3-76-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा होशंगाबाद निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्—

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, म.प्र.. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, म.प्र..
2. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, म.प्र..
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय होशंगाबाद, म.प्र.

(2) वह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. एफ-3-67-2013-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-76-2013-बत्तीस, दिनांक 5 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, the 5th June 2014

No. F-3-67-2013-XXXII.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Hoshangabad (Planning Area) under sub-secion (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Narmadapuram Division Hoshangabad, M.P..
2. Deputy Director, Town & Country Planing, Distt. Office Hoshangabad, M.P..
3. Collector, Hoshangabad, M.P..

(2) The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

सूचना

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

क्र. एफ-3-58-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा गंजबासौदा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों